संख्या-24/2023/ई-2561124/60-3-2023-सी-1692910/2023

प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 09 नवम्बर, 2023

विषय-181 महिला हेल्पलाइन योजना के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 के अधीन पुनर्जीवित किये गये लेखाशीर्षक के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-316/निदे0म0क0/लेखा-बजट/पुनर्विनियोग/2023-24, दिनांक 11.10.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक- ''2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-02-राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन-04-महिला हेल्पलाइन-(के.100/रा.00/के)-42-अन्य व्यय'' के अन्तर्गत रू0-58.23 लाख के सापेक्ष रू0-58,22,186/- (रूपये अट्ठावन लाख बाइस हजार एक सौ छियासी मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में पुनर्विनियोग के माध्यम से कराने की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं-

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों</u>

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(3) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

(6) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा योजनान्तर्गत भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(9) यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं है, जिन मामलों में उ0प्र0, बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0-58,22,186/- (रूपये अट्ठावन लाख बाइस हजार एक सौ छियासी मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक-''2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-103-महिला कल्याण-02-राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन-04-महिला हेल्पलाइन-(के.100/रा.00/के.)-42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा तत्सम्बन्धी बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्र पर आवंटित आर0ई0 संख्या-बजट-1-154, दिनांक 30.10.2023 के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव।

संख्या-24/2023/ई-2561124/60-3-2023-सी-1692910/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उ0प्र0, संगम पैलेस, सिविल लाइन्स, प्रयागराज।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

6- योजना अधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, लखनऊ।

7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4

8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।